



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229908
CG-DL-E-23092021-229908

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 538]
No. 538]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 2021/आश्विन 1, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021/ASVINA 1, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

सं. 75/2021—सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 654(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51ख के साथ पठित धारा 157 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा निम्नलिखित विनियमन करती है, यथा:-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :-** (1) इन विनियमों को इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर विनियमन, 2021 कहा जाएगा।
(2) वे इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- परिभाषाएं-** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूरत न हो, -
(क) "अधिनियम" का अर्थ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) है;
(ख) "दावा" का अर्थ है योजनाओं के तहत एक निर्यातक द्वारा शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में, सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में उक्त शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में आइटम स्तर पर उचित घोषणा प्रदान कर के ड्यूटी क्रेडिट का दावा;
(ग) "सीमा शुल्क स्टेशन" का अर्थ कोई सीमा शुल्क पत्तन, सीमा शुल्क हवाई पत्तन, भू-सीमा शुल्क स्टेशन या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो है;
(घ) "ड्यूटी क्रेडिट" का अर्थ है योजनाओं के तहत दावे के नामे सीमा शुल्क द्वारा अनुमत ड्यूटी क्रेडिट की राशि;

(ड.) "इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर" का अर्थ है सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में लेजर जो उस व्यक्ति से संबंधित है जो ड्यूटी क्रेडिट प्राप्तकर्ता है या जिस व्यक्ति को ड्यूटी क्रेडिट स्थानांतरित किया गया है ;

(च) "ई-स्क्रिप" का अर्थ है, ड्यूटी क्रेडिट के लिए लेजर में बनाई गई स्क्रिप, जैसा कि अधिनियम की धारा 28कक की व्याख्या 1 में उल्लेखित है;

(छ) "निर्यात घोषणा पत्र" या "निर्यात रिपोर्ट" का अर्थ अधिनियम की धारा 41 में उल्लेखित है;

(ज) "उचित अधिकारी" का अर्थ है सीमा शुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त;

(झ) "योजना" का अर्थ निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीईटीईपी) के लिए योजना अथवा निर्यातित माल पर राज्य और केन्द्रीय कर और लेवी की छूट (आरओएससीटीएल) के लिए योजना है;

(ञ) "स्क्रॉल" का अर्थ सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में उत्पन्न एक सूची है जिसमें शिपिंग बिल या निर्यात के बिल और उक्त शिपिंग बिल या निर्यात के बिल के लिए सीमा शुल्क द्वारा अनुमत ड्यूटी क्रेडिट राशि का विवरण होता है।

(2) वह शब्द और आशय जो कि इन विनियमों में प्रयुक्त किए गए हैं और जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है किंतु उन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ समझा जाएगा जैसा कि अधिनियम में दिया गया है।

3. स्क्रॉल में ड्यूटी क्रेडिट जारी करना - (1) 01 जनवरी, 2021 को या उसके बाद, अधिनियम की धारा 50 के तहत प्रस्तुत किया गया शिपिंग बिल या निर्यात का बिल जिसमें योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट का दावा हो, सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में उचित चयन मानदंड द्वारा जोखिम मूल्यांकन के आधार पर संसाधित किया जाएगा।

(2) निर्यात घोषणा-पत्र या निर्यात रिपोर्ट दाखिल करने के बाद योजना की शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार सीमा शुल्क द्वारा दावे की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(3) यदि एक बार दावे को स्वीकार कर लिया गया है तो उचित अधिकारी द्वारा सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में ड्यूटी क्रेडिट के लिए एक स्क्रॉल उत्पन्न किया जाएगा। प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग स्क्रॉल उत्पन्न किए जाएंगे।

(4) स्क्रॉल का विवरण जिसमें शिपिंग बिल या निर्यात के बिल का विवरण, स्वीकृत ड्यूटी क्रेडिट और स्क्रॉल उत्पन्न करने की तारीख शामिल है, ऐसे निर्यातक को सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में दिखाई देगा जो कि ऐसे ड्यूटी क्रेडिट का प्राप्तकर्ता है।

4. लेजर में ई-स्क्रिप का सृजन - (1) निर्यातक के पास एक विशेष योजना के तहत एक अथवा एक से अधिक शिपिंग बिलों अथवा निर्यात के बिलों में ड्यूटी क्रेडिट को संयोजित करने का विकल्प होगा तथा सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली द्वारा स्क्रॉल के उत्पन्न होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर निर्यात के सीमा शुल्क स्टेशन के अनुसार सीमा शुल्क स्टेशन-वार लेजर में उस योजना के लिए उसे ई-स्क्रिप में उक्त ड्यूटी क्रेडिट को ले जाने का विकल्प होगा।

बशर्ते कि यदि निर्यातक एक वर्ष की उक्त अवधि के भीतर ई-स्क्रिप सृजित करने के उक्त विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, तो प्रत्येक योजना के लिए स्क्रॉल में ड्यूटी क्रेडिट, संयुक्त सीमा शुल्क स्टेशन-वार और स्वचालित रूप से सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली द्वारा उक्त निर्यातक के खातों में प्रत्येक सीमा शुल्क स्टेशन के लिए उस योजना के लिए ड्यूटी क्रेडिट के लिए एकल ई-स्क्रिप के रूप में सृजित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ई-स्क्रिप की एक विशेष पहचान संख्या और उसके सृजन की तारीख होगी एवं लेजर में सभी लेन-देन उक्त संख्या और तारीख का उपयोग कर के किया जाएगा।

5. ई-स्क्रिप का पंजीकरण - (1) निर्यात का सीमा शुल्क स्टेशन, ई-स्क्रिप के लिए पंजीकरण का सीमा शुल्क स्टेशन होगा।

(2) ई-स्क्रिप का पंजीकरण स्वचालित होगा तथा इसके लिए पृथक आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

6. ई-स्क्रिप का उपयोग और वैधता - (1) लेजर में ई-स्क्रिप में उपलब्ध ड्यूटी क्रेडिट का उपयोग सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया जाएगा।

(2) ई-स्क्रिप लेजर में इसके सृजन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और उक्त ई-स्क्रिप में कोई भी ड्यूटी क्रेडिट जो इस अवधि के अंत में अप्रयुक्त रह जाएगा, व्ययगत हो जाएगा।

(3) ई-स्क्रिप में ऐसा ड्यूटी क्रेडिट जो व्ययगत हो गया है पुनः उत्पन्न नहीं किया जाएगा।

(4) ई-स्क्रिप सहित लेजर और उसमें किए गए लेन-देन, इस तरह के ड्युटी क्रेडिट के प्राप्तकर्ता तथा सीमा शुल्क को सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में दिखाई देगा।

7. ई-स्क्रिप में ड्युटी क्रेडिट का हस्तांतरण - (1) सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली के भीतर एक व्यक्ति के लेजर से किसी अन्य व्यक्ति, जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के अनुसार जारी आयातक-निर्यातक कोड संख्या का धारक हो, के लेजर में ई-स्क्रिप में ड्युटी क्रेडिट के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी।

(2) ई-स्क्रिप में उपलब्ध ड्युटी क्रेडिट, एक समय में उक्त ई-स्क्रिप की पूरी राशि के लिए किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाएगा और आंशिक रूप में ड्युटी क्रेडिट के हस्तांतरण की अनुमति नहीं होगी।

(3) ई-स्क्रिप के वैधता की अवधि इसके सृजन से एक वर्ष होगी जो ई-स्क्रिप के हस्तांतरण के कारण बदली नहीं जाएगी।

(4) ई-स्क्रिप सहित अंतरिती का लेजर और उसमें किए गए लेन देन, अंतरिती और सीमा शुल्क को सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में दिखाई देगा।

8. ड्युटी क्रेडिट का स्थगन या रद्दकरण - जहां कोई व्यक्ति निर्यात के संबंध में या ई-स्क्रिप के संबंध में अधिनियम या लागू समय में किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों का उल्लंघन करता है, वहां अधिनियम की धारा 51ख के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित तरीके से ड्युटी क्रेडिट या ई-स्क्रिप को लेजर में स्थगित या रद्द किया जा सकता है।

[फा. सं. सीबीआईसी-140605/12/2021-निदेशक(प्रतिअदायगी)-सीबीईसी]

गोपाल कृष्ण झा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2021

No. 75/2021- Customs (N.T.)

G.S.R. 654(E).—In exercise of the powers conferred by section 51B, read with section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Electronic Duty Credit Ledger Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) “Claim” means a claim of duty credit under the Schemes, made by an exporter in the shipping bill or bill of export by providing the appropriate declaration at the item level in the said shipping bill or bill of export in the customs automated system;

(c) “Customs station” means any customs port, customs airport, land customs station or inland container depot;

(d) “Duty credit” means the amount of credit of duty allowed by Customs against a claim under the Schemes;

(e) “Electronic duty credit ledger” means the ledger in the customs automated system relating to a person who is the recipient of duty credit or persons to whom duty credit is transferred;

(f) “E-scrip” means the scrip, created in the ledger for duty credit, as mentioned in Explanation 1 of section 28AAA of the Act;

(g) “Export manifest” or “export report” means the reference to the terms used in section 41 of the Act;

- (h) “Proper officer” means Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Customs;
- (i) “Scheme” means the Scheme for Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) or the Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL);
- (j) “Scroll” means the list generated in the customs automated system containing details of shipping bills or bills of export and the duty credit amounts allowed by Customs against the said shipping bills or bills of export.

(2) The words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Issuance of duty credit in the scroll. - (1) A shipping bill or a bill of export, presented under section 50 of the Act on or after the 01st day of January, 2021 and having a claim of duty credit under the Scheme, shall be processed in the customs automated system, including on the basis of risk evaluation through appropriate selection criteria.

(2) The claim shall be allowed by Customs as per the conditions and restrictions notified for the Scheme, after the filing of export manifest or export report.

(3) Once the claim is allowed, a scroll for duty credit will be generated by the proper officer in the customs automated system. Separate scrolls will be generated for each Scheme.

(4) The scroll details, including the details of shipping bill or bill of export, duty credit allowed and date of generation of scroll, shall be visible in the customs automated system to the exporter who is the recipient of such duty credit.

4. Creation of e-scrip in the ledger. - (1) The exporter shall have the option to combine the duty credits under a particular Scheme, allowed to him in one or more shipping bills or bills of export, and to carry forward the said duty credits to create an e-scrip for that Scheme in the ledger, customs station-wise according to the customs station of export, within a period of one year from the date of generation of the scroll in the customs automated system :

Provided that if the exporter does not exercise the said option of creating the e-scrip within the said period of one year, duty credit in each scroll will be combined customs station-wise for each Scheme and will be automatically created by the customs automated system as a single e-scrip for duty credit for that Scheme, for each customs station, in the ledger of the said exporter.

(2) Each e-scrip shall have a unique identification number and date of its creation and all transactions in the ledger shall be carried out using the said number and date.

5. Registration of e-scrip. - (1) The customs station of export shall be the customs station of registration for an e-scrip.

(2) The registration of e-scrip shall be automatic and separate application for the same shall not be required to be filed.

6. Use and validity of e-scrip. - (1) The duty credit available in the e-scrip in the ledger shall be used for payment of duties of Customs specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The e-scrip shall be valid for a period of one year from the date of its creation in the ledger and any duty credit in the said e-scrip remaining unutilized at the end of this period shall lapse.

(3) Such duty credit in the e-scrip that has lapsed shall not be re-generated.

(4) The ledger, including e-scrip and the transactions made therein, shall be visible in the customs automated system to the recipient of such duty credit and the Customs.

7. Transfer of duty credit in e-scrip. - (1) Transfer of duty credit in e-scrip shall be allowed within the customs automated system from the ledger of a person to the ledger of another person who is a holder of an Importer-exporter Code Number issued in terms of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992).

(2) The duty credit available in an e-scrip shall be transferred at a time for the entire amount in the said e-scrip to another person and transfer of the duty credit in part shall not be permitted.

(3) The period of validity of the e-scrip, of one year from its creation, shall not change on account of transfer of the e-scrip.

(4) The ledger of the transferee, including e-scrip and the transactions made therein, shall be visible in the customs automated system to the transferee and the Customs.

8. Suspension or cancellation of duty credit. - Where a person contravenes any of the provisions of the Act or any other law for the time being in force or the rules or regulations made thereunder in relation to the exports to which the duty credit relates, or in relation to the e-scrip, the said duty credit or e-scrip may be suspended or cancelled in the ledger in the manner as notified by the Central Government under section 51B of the Act.

[F. No. CBIC-140605/12/2021-O/o Dir(Drawback)-CBEC]

GOPAL KRISHNA JHA, Director